अध्याय-VI
खनन एवं खनिज

अध्याय–VI : कर भिन्न प्राप्तियाँ

अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग

6.1 कर प्रशासन

खनिजों का खनन, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाये गये बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 एवं खनिज रियायत नियमावली, 1960 द्वारा शासित होता है। खान एवं खनिजों का विनियमन एवं विकास, सरकार स्तर पर, आयुक्त–सह–प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा प्रशासित है। विभाग के प्रधान, खान निदेशक होते हैं जिनकी सहायता में एक खान अपर निदेशक और तीन खान उप निदेशक मुख्यालय में होते हैं। पुनः, प्रमंडलीय कार्यालयों में नौ खान उप निदेशक और 14 जिला खनन कार्यालयों में खान सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी जिला स्तर पर स्वतंत्र प्रभार में रहते हैं, जबकि बाकि 24 जिला खनन कार्यालयों के प्रभारी खान निरीक्षक होते हैं जो संबंधित जिले में समाहर्त्ता के अधीनस्थ होते हैं एवं रॉयल्टी तथा अन्य खनन बकायों के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण हेतु उत्तरदायी होते हैं।

बिहार राज्य में लघु खनिजों जैसे बालू, पत्थर एवं मिट्टी तथा कुछ वृहत् खनिजों जैसे चूना पत्थर, अभ्रख तथा सिलिका इत्यादि हैं। बिहार में खान एवं खनिजों से प्राप्तियों में रॉयल्टी, नियत लगान, भूतल लगान, पट्टा/अनुज्ञा पत्र/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन शुल्क, पूर्व सर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, अर्थदण्ड, बकाये आदि का विलम्ब से भुगतान हेतु जुर्माना तथा ब्याज शामिल है।

6.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

किसी भी विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक विशेष साधन है, जिसे साधारणतया सभी नियंत्रणों का नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे एक संगठन को यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि सभी विहित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही है। आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है तथा सरकार की विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जाता है। मुख्य लेखा नियंत्रक भी लेखापरीक्षा दल की उपलब्धता पर आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु इकाइयों का चयन कर सकते हैं।

वित्त विभाग द्वारा दी गई सूचना (अगस्त 2016) के अनुसार वर्ष 2015–16 के दौरान उसने खान एवं भूतत्व विभाग का कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया था।

अनुशंसाः विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्त विभाग को आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु अधियाचना भेजा जाए ताकि नियमित रूप से आंतारिक लेखापरीक्षा किया जा सके।

6.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

खान एवं भूतत्व विभाग के अंतर्गत लेखापरीक्षा योग्य 56 इकाईयों में से 35 इकाईयों को वर्ष 2015–16 के लेखापरीक्षा योजना में ली गई और हमने इस अवधि में योजना में लिये गये सभी 35 इकाईयों का लेखापरीक्षा किया। हमने ₹ 229.78 करोड़ से सन्निहित 261 मामलों में राजस्व का कम आरोपण, कम वसूली एवं अन्य अनियमितताएं पाईं, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि **तालिका–6.1** में वर्णित हैः

तालिका–6.1

लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1.	खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति के लिए कार्य संवेदकों के विरूद्ध अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	33	65.14
2.	मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण नहीं किया जाना	19	56.11
3.	ईंट भट्ठा मालिकों से रॉयल्टी की वसूली नहीं किया जाना	36	23.55
4.	ईंट मिट्टी के अवैध निष्कासन हेतु अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जाना	27	16.35
5.	बालू घाट की बंदोबस्ती नहीं/अनियमित बंदोबस्ती किये जाने के कारण निविदा राशि का आरोपण कम/नहीं किया जाना	5	12.53
6.	खनिज योजना के अनुमोदन के बिना खनिज उत्खनन हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	2	7.06
7.	अन्य मामले	139	49.04
कुल		**261**	**229.78**

वर्ष 2015–16 के दौरान खान एवं खनिज से प्राप्तियों पर लेखापरीक्षा अवलोकनों के मामले में लेखापरीक्षा परिणाम निम्नलिखित **चार्ट–6.1** में प्रदर्शित है:

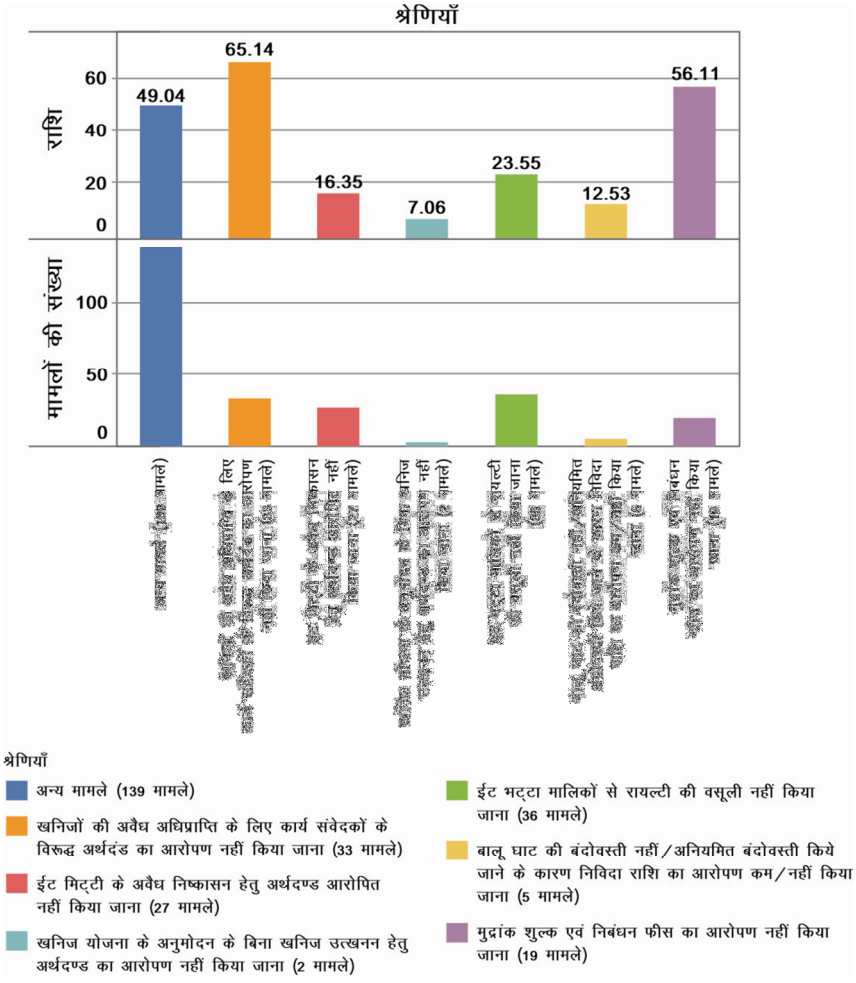

वर्ष 2015–16 के दौरान विभाग ने 38 मामलों में सन्निहित ₹ 8.97 करोड़ के राजस्व का नहीं/कम आरोपण, कम वसूली एवं अन्य अनियमितताओं को स्वीकार किया, इनमें से ₹ 4.46 करोड़ से सन्निहित चार मामले वर्ष 2015–16 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इंगित किए गए थे। विभाग ने एक मामले में ₹ 5.61 लाख की वसूली भी प्रतिवेदित की, जिसे वर्ष 2014–15 के दौरान इंगित किया गया था।

दृष्टांतस्वरूप ₹ 101.05 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित कुछ मामले अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं।

6.4 अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

जिला खनन पदाधिकारियों के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों एवं विभागीय आदेशों का अनुपानल नहीं किए जाने के अनेक मामलों का पता चला, जैसा कि इस अध्याय के अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं। ये मामले दृष्टान्तस्वरूप हैं तथा हमलोगों द्वारा लेखापरीक्षा में किए गए नमूना जाँच पर आधारित है। विभागीय पदाधिकारियों द्वारा किये गये इनमें से कुछ चूकों को लेखापरीक्षा द्वारा पूर्व में भी इंगित किए गये थे परन्तु ये अनियममितताएँ न केवल निरंतर होती रहीं बल्कि लेखापरीक्षा किये जाने तक पता नहीं लगा। सरकार के लिए आवश्यक है कि आंतरिक नियंत्रण पद्धति में सुधार लाए।

6.5 खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति हेतु अर्थदण्ड

6.5.1 कार्य संवेदकों द्वारा खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

अन्तर–विभागीय समन्वय के अभाव के फलस्वरूप खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति हेतु कार्य संवेदकों के विरूद्ध ₹ 44.69 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया।

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 का नियम 40 (10) प्रावधित करता है कि कार्य संवेदक केवल पट्टाधारी/अनुज्ञप्तिधारी और प्राधिकृत व्यवसायी से ही खनिज का क्रय करेंगे तथा कोई भी कार्य विभाग, संवेदकों द्वारा किए गये कार्य में व्यवहृत खनिजों के लागत की वसूली हेतु जो विपत्र समर्पित किया जाता है, उसको तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक वह निर्धारित प्रपत्र 'एम' एवं 'एन', जिसमें उस व्यवसायी का नाम एवं पता वर्णित हो, जिससे खनिज का क्रय किया गया था, द्वारा समर्थित न हो। विभाग ने यह भी अधिसूचित किया था (जनवरी 2006) कि कार्य संवेदकों द्वारा प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' के प्रस्तुति के बिना विपत्रों का भुगतान नहीं किया जाएगा। उक्त विपत्र प्राप्त करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि वे प्रपत्रों एवं विवरणों की छायाप्रति संबंधित खनन पदाधिकारी को भेजे। यदि संबंधित खनन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र/शपथपत्र के जाँचोपरान्त यह पता चलता है कि खनिज किसी प्राधिकृत पट्टाधारी से क्रय नहीं किए गये थे तो यह समझा जाएगा कि संबंधित खनिज अवैध खनन से प्राप्त किया गया था और उस परिस्थिति में उक्त संबंधित खनन पदाधिकारी शपथ पत्र बनाने वाले के विरूद्ध नियमानुकुल कार्रवाई करेंगे।

पुनः बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 40 (8) के साथ पठित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (5) प्रावधित करता है कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी भूमि से कोई खनिज किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना निष्कासित करेगा, तब राज्य सरकार इस प्रकार निकाले गए खनिज को अथवा जहाँ ऐसे खनिज का पहले से ही खपत कर दिया गया है, वहाँ उसकी कीमत को ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकती है और साथ ही उस व्यक्ति से, उस अवधि

हेतु जिसके दौरान वह जमीन ऐसे व्यक्ति द्वारा बिना कोई कानूनी प्राधिकार के कब्जे में था, किराया, रॉयल्टी या कर, जैसा भी मामला हो, भी वसूल कर सकती है।

मार्च 2015 एवं फरवरी 2016 के बीच 20 खनन कार्यालयों[1] के राजस्व संग्रहण प्रतिवेदन एवं जिला कोषागार के अभिलेखों से हमने पाया कि 33 कार्य विभागों[2] द्वारा वर्ष 2012–13 एवं 2014–15 के बीच की अवधि के दौरान कार्य संवेदकों के विपत्र से रॉयल्टी के रूप में कुल ₹ 44.69 करोड़ की कटौती कर शीर्ष ''0853–अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग'' के अंतर्गत जमा किया गया था। कार्य विभागों ने संबंधित जिला खनन पदाधिकारियों को जाँच हेतु संवेदकों द्वारा इस्तेमाल किए गए खनिजों[3] का विवरणी भी नहीं भेजा था। बल्कि कार्य विभागों ने, यद्यपि वे इसके लिए प्राधिकृत नहीं थे, कार्य संवेदकों के विपत्र से उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए खनिजों के विरूद्ध रायल्टी की कटौती की। यह इंगित करता है कि खनिज प्राधिकृत व्यवसायी/अनुज्ञप्तिधारी से क्रय नहीं किया गया था। पुनः खनन पदाधिकारियों ने, कार्य विभागों द्वारा कटौती किए गए रॉयल्टी की राशि प्राप्त होने पर, अवैध खनन रोकने हेतु कोई कार्रवाई नहीं किया तथा खनन पदाधिकारियों ने कम से कम ₹ 44.69 करोड़ की रॉयल्टी के समतुल्य न्युनतम अर्थदण्ड का मांग कार्य विभागों के माध्यम से कार्य संवेदकों के विरुद्ध नहीं किया।

इस प्रकार अन्तर विभागीय समन्वय के अभाव में कार्य विभागों के माध्यम से कार्य संवेदकों के विरूद्ध खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति को रोकने हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा (सितम्बर 2016) कि खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी कार्य प्रमंडलों को पत्र निर्गत (मई 2002 एवं मई 2012 के बीच) किया था तथा निदेशित किया था कि कार्य संवेदकों द्वारा प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' प्रस्तुत किए बगैर किसी भी विपत्र का भुगतान नहीं किया जाएगा। पुनः मुख्य सचिव, बिहार सरकार के अनुमोदनोपरांत खान एवं भूतत्व विभाग ने इस संबंध में सभी कार्य प्रमंडलों/निगमों को निदेश निर्गत (जनवरी 2016) किया था। विभाग ने पुनः कहा कि इसे और सख्त बनाने के लिए नये नियम बनाये जा रहे हैं तथा कार्य विभाग पर यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व दिया जा रहा है, कि संवेदक प्राधिकृत खानों से ही खनिजों की अधिप्राप्ति करें।

6.5.2 साधारण मिट्टी के अवैध उपयोग हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

आवश्यक उत्खनन परमिट प्राप्त किये बगैर साधारण मिट्टी के निष्कासन हेतु कार्य संवेदकों पर ₹ 7.80 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था।

तटबंधों, पथों, रेलवे एवं भवनों के निर्माण में भरने अथवा समतलीकरण करने में उपयोग किए गए साधारण मिट्टी एक लघु खनिज है। इस संदर्भ में बिहार सरकार ने गजट

---

1 अररिया, दरभंगा, गया, कैमुर (भभुआ), कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पुर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सिवान एवं पश्चिमी चम्पारण।

2 **ग्रामीण कार्य विभाग**– अररिया, बेनीपट्टी (मधुबनी), बेतिया, भभुआ, दरभंगा–II, गया पश्चिमी, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मनीहारी, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर– I, II, एवं पश्चिमी, पालीगंज (दानापुर), पटना, पूर्णिया, रोहतास– I एवं II, समस्तीपुर, सारण (छपरा)– I एवं II, शेखपुरा, सीतामढ़ी एवं सीवान; **लोक निर्माण विभाग–पथ प्रमंडल**–दरभंगा एवं पटना; **नेशनल हाईवे प्रमंडल**–गया एवं मधेपुरा; **बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड**–दरभंगा एवं सीतामढ़ी तथा **बिहार राज्य भवन निर्माण निगम**– कार्य II–पटना।

3 स्टोन, सैंड, स्टोन चिप्स, मुरम इत्यादि।

अधिसूचना (अप्रैल 2006) के माध्यम से साधारण मिट्टी के रॉयल्टी की दर ₹ 15 प्रति घन मीटर निर्धारित किया, जिसे पुनरीक्षित (जनवरी 2012) कर ₹ 22 प्रति घनमीटर किया गया। बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 27 एवं 28 के अनुसार किसी भी उत्खनन की क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित फीस का भुगतान कर सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है।

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली का नियम 40 (1) आपराधिक दण्ड प्रक्रिया प्रारम्भ करना, जिसमें साधारण कैद की सजा, जो छः महीने तक विस्तारित हो सकता है अथवा जुर्माना, जिसे पाँच हजार रूपये तक विस्तारित किया जा सकता है, अथवा दोनों विहित करता है। पुनः उपरोक्त नियमावली का नियम 40 (8) अवैध खनन हेतु अर्थदण्ड विहित करता हैं जिसमें खनिज का मूल्य, लगान, रॉयल्टी अथवा कर, जैसा मामला हो, की वसूली शामिल है।

आठ जिला खनन कार्यालयों[4] में पट्टा संचिका/बैंक ड्राफ्ट पंजी के अवलोकन से हमने फरवरी 2015 एवं फरवरी 2016 के बीच पाया कि 2011–12 से 2014–15 की अवधि के दौरान कार्य संवेदकों द्वारा मिट्टी कार्य में खनिज के उपयोग हेतु रॉयल्टी के रूप में ₹ 7.80 करोड़ की कटौती/जमा की गई थी। पुनः हमने पाया कि कार्य संवेदकों, जिन्होंने लघु खनिज का निष्कासन किया था, ने उक्त कार्य हेतु आवश्यक उत्खनन परमिट नहीं लिया था। अतः संवेदकों ने मिट्टी का निष्कासन अवैध रूप से किया था जिसके लिए उपरोक्त नियमावली के तहत् वे कम से कम ₹ 7.80 करोड़ की रॉयल्टी के समतुल्य न्यूनतम अर्थदण्ड का भुगतान करने हेतु दायी थे। यद्यपि संबंधित खनन पदाधिकारियों ने न तो ₹ 7.80 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के प्रावधान के तहत् कोई आपराधिक दण्ड प्रक्रिया की कार्रवाई आरम्भ की।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा (सितम्बर 2016) कि यह आपत्ति नियम 40 (8) के आलोक में नहीं उठानी चाहिए थी, बल्कि इसे नियम 40 (10) के साथ पढ़ा जाना चाहिए था, जिसमें खनन पदाधिकारी के स्वविवेक पर है कि अगर कार्य संवेदक रॉयल्टी का भुगतान कर देते हैं तब कोई अन्य दण्डात्मक कार्रवाई नहीं करें।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली का नियम 40(10) उसी मामले में लागू है, जहाँ कार्य संवेदक प्रपत्र 'एम' में दर्शाये गये शपथ पत्र के अनुसार खनिज की खपत/आपूर्ति से संबंधित रॉयल्टी जमा कर दिया हो अथवा उसका भुगतान कर दिया हो। यह मामला बगैर वैध परमिट के साधारण मिट्टी के निष्कासन से संबंधित है, जिसमें उपरोक्त नियमावली के नियम 40 (1) के प्रावधान के अनुसार अपेक्षित खनन परमिट प्राप्त किये बगैर साधारण मिट्टी का खनन अवैध है। अतः उपरोक्त नियमावली के नियम 40 (8) के तहत् अर्थदण्ड आरोप्य था। हालाँकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद खनन पदाधिकारी, भागलपुर एवं कैमुर ने कहा (मई 2016) कि अर्थदण्ड का भुगतान हेतु संबंधित संवेदकों के विरूद्ध जनवरी एवं अप्रैल 2016 के बीच सभी पाँच मामलों में मांग सृजित कर दिया गया था।

6.6 बालू घाटों की बंदोबस्ती पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली

बालू घाटों के बन्दोबस्तधारियों से ₹ 47.88 करोड़ की मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की वसूली नहीं की गई थी।

नई बालू नीति, 2013 के अनुसार बालू घाटों की बंदोबस्ती का एकरारनामा बंदोबस्तधारी के साथ कार्यादेश निर्गत होने के तिथि से 60 दिनों के अंदर विहित प्रपत्र

[4] भागलपुर, कैमूर, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं सीतामढ़ी।

में कार्यान्वित किया जाना है तथा निबंधित दस्तावेज, बंदोबस्ती राशि का तीन प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क तथा चार प्रतिशत की दर से निबंधन फीस का भुगतान करने के बाद प्रस्तुत करना है।

नौ जिला खनन कार्यालयों[5] में सभी बालू घाटों की बंदोबस्ती संचिकाओं से हमने नवम्बर 2015 एवं फरवरी 2016 के बीच पाया कि वर्ष 2015 में ₹ 737 करोड़ की बंदोबस्ती राशि पर इन बालू घाटों की बंदोबस्ती पाँच कैलेण्डर वर्ष की अवधि के लिए की गयी थी। बालू घाट के बन्दोबस्तधारियों ने भुगतेय ₹ 22.11 करोड़ मुद्रांक शुल्क के विरूद्ध ₹ 2.83 करोड़ मुद्रांक शुल्क का भुगतान किया था। पुनः हमने पाया कि नौ में से आठ बन्दोबस्तधारियों[6] ने बन्दोबस्त अवधि 2015–19 के लिए न तो बंदोबस्ती राशि पर निबंधन शुल्क ₹ 22.95 करोड़ का भुगतान किया और न ही एकरारनामा का निबंधन कराया जबकि एक बन्दोबस्तधारी[7] ने ₹ 5.65 करोड़ के निबंधन शुल्क का कम भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस के रूप में ₹ 47.88 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा (अगस्त एवं सितम्बर 2016) कि नीलामी राशि वार्षिक आधार पर भुगतेय थी और इसलिए कम वसूली नहीं हुई बल्कि यह वार्षिक आधार पर राजस्व का संग्रहण था। हालाँकि मामला निबंधन विभाग को उनके मंतव्य हेतु संदर्भित कर दी जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बालू घाटो की बंदोबस्ती पाँच वर्षो के लिए की गयी थी, अतः भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 17 (1) (घ) के प्रावधान, जो यह प्रावधित करता है कि वर्ष–दर–वर्ष या एक वर्ष से अधिक किसी अवधि के लिए अचल संपत्ति के लीज दस्तावेज का निबंधन किया जाएगा, के अनुसार एकरारनामा का निबंधन की जानी चाहिए थी।

6.7 बालू घाटों के बन्दोबस्तधारियों से रॉयल्टी एवं ब्याज की कम वसूली

बालू घाटों के बन्दोबस्तधारियों से बन्दोबस्ती राशि की वसूली में खनन पदाधिकारियों की निष्क्रियता के फलस्वरूप रॉयल्टी एवं ब्याज की कम वसूली हुई।

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 का नियम 11 ए प्रावधित करता है कि लघु खनिज के रूप में बालू की बन्दोबस्ती समाहर्त्ता द्वारा लोक नीलामी द्वारा वार्षिक आधार पर उच्चतम डाककर्त्ता को किया जायेगा। विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना (मार्च 2013) के अनुसार 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2013 की बन्दोबस्ती अवधि के लिए बन्दोबस्ती राशि का भुगतान एकमुश्त करनी है। पुनः नई बालू नीति, 2013 तथा उसके तहत् निर्गत अधिसूचना (दिसम्बर 2013) में प्रावधान है कि बन्दोबस्ती राशि का भुगतान तीन किस्तों[8] में की जानी है। उपरोक्त नियमावली का नियम 43 ए में बकाये लगान, रॉयल्टी अथवा फीस पर 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर साधारण ब्याज अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है।

---

5 बाँका, भागलपुर, बक्सर, कैमूर, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर एवं पटना।

6 **भागलपुर** : सैनिक फूड प्राईवेट लिमिटेड, मुरादाबाद; **बक्सर** : श्री कत्यानी कॉन्ट्रेक्टर्स (प्रा0) लिमिटेड, बिहटा, पटना; **कैमुर** : चैम्पियन ग्रुप ऑफ कम्पनीज, कैमुर; **लक्खीसरायः** राजनन्दनी प्रॉजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, बंदर बगीचा, पटना; **मधुबनीः** मो0 मसीहा लोकहा, मधुबनी; **मुंगेर** एन. एम. फुड प्रोडक्ट, श्री गंगानगर, राजस्थान; **मुजफ्फरपुर** : श्री उमेश कुमार, अहियापुर, मुजफ्फरपुर; **पटनाः** ब्रॉडसन कोमोडीटीज (प्रा0) लिमिटेड, आरा, भोजपुर।

7 बाँका : महादेव इनक्लेव (प्रा0) लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान।

8 प्रथम किस्त – कार्यादेश निर्गत किये जाने से पूर्व बन्दोबस्ती राशि का 50 प्रतिशत,
द्वितीय किस्त – 15 अप्रैल तक बन्दोबस्ती राशि का 25 प्रतिशत, तथा
तृतीय किस्त – 15 सितम्बर तक बन्दोबस्ती राशि का 25 प्रतिशत।

- जिला खनन कार्यालय, गया में बालू घाट के बन्दोबस्ती की संचिकाओं की संवीक्षा से हमने पाया (जून 2015) कि बालू घाट की बन्दोबस्ती 1 मार्च 2014 से 31 दिसम्बर 2014 की अवधि के लिये ₹ 37.32 करोड़ में की गयी थी। बालू घाट के बन्दोबस्तधारी ने बन्दोबस्ती राशि का भुगतान पाँच दिनों से 149 दिनों के विलम्ब से किया था, परन्तु संबंधित खनन पदाधिकारी ने ₹ 43.22 लाख के ब्याज का आरोपण नहीं किया।

- जिला खनन कार्यालय, वैशाली में बालू घाटों की बन्दोबस्ती की संचिकाओं की संवीक्षा से हमने पाया (फरवरी 2015) कि बालू घाट की बन्दोबस्ती 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2013 की अवधि के लिये ₹ 21 लाख में, कुल राशि का भुगतान एकमुश्त किये जाने की शर्त के साथ की गई थी। बालू घाट के बन्दोबस्तधारी ने ₹ 14.24 लाख का भुगतान 34 से 284 दिनों के विलम्ब से किया था तथा शेष ₹ 6.76 लाख का भुगतान जनवरी 2015 तक नहीं किया था। संबंधित खनन पदाधिकारी ने बकाए रॉयल्टी हेतु माँग सृजित नहीं किया तथा 31 जनवरी 2015 तक संगणित ₹ 4.87 लाख का ब्याज भी आरोपित नहीं किया था। कुल राजस्व प्रभाव ₹ 11.62 लाख (बंदोबस्ती राशिः ₹ 6.76 लाख एवं ब्याजः ₹ 4.86 लाख) का था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया तथा कहा (सितम्बर 2016) कि गया के मामले में चूककर्त्ता के विरूद्ध ₹ 43.22 लाख (वाद संख्या 396/2015–16) की वसूली हेतु नीलामवाद दायर कर दिया गया है, जिसके विरूद्ध बन्दोबस्तधारी ने खान आयुक्त के न्यायालय में पुनरीक्षण हेतु अपील किया है, जबकि वैशाली के मामले में विभाग ने कहा कि नीलामवाद आरंभ करने हेतु कार्रवाई की जायेगी।

6.8 पृथक कॉरपस निधि के मद में राशि की वसूली नहीं किया जाना

पृथक कॉरपस निधि के मद में ₹ 13.26 लाख की राशि की वसूली संबंधित खनन पदाधिकारियों द्वारा नहीं की गई थी।

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 54, जैसा कि बिहार लघु खनिज समनुदान (संशोधित) नियमावली, 2014 के द्वारा संशोधित है, के साथ पठित नई बालू नीति, 2013 की शर्त 9 के अनुसार सफल डाककर्त्ता को बालू घाटों से बालू के उत्खनन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश की तिथि से तीन माह के भीतर बालू उत्खनित क्षेत्रों के पुनरूद्धार एवं पुनर्वास हेतु बन्दोबस्ती राशि का दो प्रतिशत पृथक कॉरपस निधि के मद में वार्षिक जमा करना है।

दो जिला खनन कार्यालयों (भागलपुर एवं मधुबनी) में कैलेण्डर वर्ष 2015–19 हेतु बालू घाटों की बन्दोबस्ती से संबंधित संचिकाओं तथा बैंक ड्राफ्ट रजिस्टर की संवीक्षा के दौरान हमने नवम्बर 2015 एवं जनवरी 2016 के बीच पाया कि इन जिलों में कैलेण्डर वर्ष 2015 के लिये बालू घाटों से बालू के उत्खनन हेतु क्रमशः ₹ 4.90 करोड़ एवं ₹ 78.70 लाख तथा मधुबनी जिला में वर्ष 2016 के लिए ₹ 94.44 लाख की राशि की स्वीकृत्यादेश/कार्यादेश की स्वीकृति (मार्च एवं अगस्त 2015 के बीच) दी गई थी। बालू घाटों की बन्दोबस्ती की शर्तों के अनुसार दूसरे तथा उसके आगे के वर्षों में बन्दोबस्ती राशि पूर्व के वर्षों की बन्दोबस्ती राशि के 120 प्रतिशत के समतुल्य होगा।

बालू घाटों के बन्दोबस्तधारियों को स्वीकृत्यादेश निर्गत होने की तिथि से तीन माह के भीतर पृथक कॉरपस निधि के मद में बन्दोबस्ती राशि का दो प्रतिशत जमा करना था। परन्तु हमने पाया कि इन बालू घाटों के बन्दोबस्तधारियों ने पृथक कॉरपस निधि के मद

में ₹ 13.26 लाख[9] की अपेक्षित राशि का भुगतान लेखापरीक्षा तिथि (नवम्बर 2015), यहाँ तक कि तीन माह से अधिक बीत जाने तक भी नहीं किया था। संबंधित खनन पदाधिकारियों ने इस संबंध में कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की थी।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया तथा कहा (सितम्बर 2016) कि राशि की वसूली कर ली जायेगी।

6.9 बालू घाटों की बन्दोबस्ती हेतु शर्तों के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया जाना

बालू घाटों के बन्दोबस्तधारियों से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र प्राप्त किये बगैर बालू के उत्खनन की अनुमति दी गई थी।

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972, के नियम 11 जैसा कि बिहार लघु खनिज समनुदान (संशोधित) नियमावली, 2014 के द्वारा संशोधित है, के साथ पठित नई बालू नीति, 2013 के प्रावधानों के अनुसार बालू घाटों की बन्दोबस्ती निविदा–सह–नीलामी के माध्यम से पाँच वर्षों के लिये की जायेगी। बालू घाटों के सफल डाककर्त्ता सैद्धान्तिक स्वीकृति की तिथि से 50 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के लिये 90 दिनों तथा 50 हेक्टेयर और अधिक क्षेत्र के लिये 120 दिनों के भीतर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सफल उच्चतम डाककर्त्ता पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तब उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा समाहर्त्ता/राज्य सरकार द्वारा कोई प्राधिकृत पदाधिकारी दूसरे उच्चतम डाककर्त्ता को विहित समय के भीतर अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अवसर देगें। पुनः सरकार ने बन्दोबस्तधारी से विहित समय के भीतर अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई करने के साक्ष्य में शपथ पत्र प्राप्त कर जनवरी 2015 से बालू का उत्खनन एवं प्रेषण हेतु अनुमति (दिसम्बर 2014) दिया।

बालू घाटों की बंदोबस्ती से संबंधित संचिकाओं की संवीक्षा से हमने 15 जिला खनन कार्यालयों[10] में पाया (मई 2015 एवं फरवरी 2016 के बीच) कि पाँच कैलेण्डर वर्षों (2015–19) की अवधि के लिये बालू घाटों की बन्दोबस्ती निविदा–सह–नीलामी के माध्यम से अक्टूबर 2014 एवं अगस्त 2015 के बीच 15 उच्चतम डाककर्त्ताओं को ₹ 164.80 करोड़ में, अनुवर्ती वर्षों में बंदोबस्ती राशि का 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की शर्त के साथ, दी गई। नवम्बर 2014 एवं अगस्त 2015 के बीच सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश निर्गत की गई थी। बालू घाटों के बन्दोबस्तधारियों ने अपेक्षित शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिये तथा उसके बाद संबंधित जिलों के समाहर्त्ताओं ने बालू के उत्खनन हेतु कार्यादेश निर्गत (दिसम्बर 2014 एवं अगस्त 2015 के बीच) कर दिया। पुनः संबंधित खनन पदाधिकारयों ने संबंधित बालू घाटों से बालू के प्रेषण हेतु ट्रांजिट पास भी निर्गत कर दिया। हालाँकि बंदोबस्तधारियों ने शपथ पत्र में दर्शाये गये विहित समय, यहाँ तक

---

[9] संगणना:

(राशि ₹ में)

जिला	बंदोबस्तधारी का नाम	वर्ष	बंदोबस्त राशि	दो प्रतिशत की दर से कॉरपस निधि हेतु वसूली योग्य राशि
भागलपुर	मेसर्स सैनिक फूड प्राईवेट लिमिटेड	2015	4,90,00,000	9,80,000
मधुबनी	मो0 मसीहा	2015	78,70,000	1,57,400
		2016	94,44,000	1,88,880
कुल			**6,63,14,000**	**13,26,280**

[10] अरवल, भागलपुर, बक्सर, जहानाबाद, कैमुर, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मोतीहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, रोहतास एवं वैशाली (हाजीपुर)।

कि बालू घाटों की बंदोबस्ती के पहले वर्ष की समाप्ति के बाद भी संबंधित प्राधिकारियों को पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया। विभाग ने पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने हेतु लीज को निरस्त तथा बन्दोबस्तधारियों के जमानत राशि को जब्त किये जाने की कार्रवाई करने हेतु समाहर्त्ता को निदेशित नहीं किया, जैसा कि बालू नीति के तहत् अपेक्षित था।

हमने पुनः पाया कि बन्दोबस्त बालू घाटों से बालू के उत्खनन हेतु कार्यादेश तीन जिलों[11] में अपेक्षित पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र को सुनिश्चित किये बगैर अग्रेत्तर वर्ष के लिये पुनः निर्गत किया। यह न केवल बालू के अवैध उत्खनन को प्रोत्साहन देना था, बल्कि इसके कारण माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बालू घाटों से बालू के उत्खनन को रोकने हेतु राज्य सरकार को निर्देश देना पड़ा (जनवरी 2016)। पुनः विभाग ने भी उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं किये जाने हेतु संबंधित समाहर्त्ताओं/खनन पदाधिकारियों को बंदोबस्ती निरस्त करने हेतु निदेश निर्गत नहीं किया था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अगस्त 2016) कि वर्तमान समय में उचित प्राधिकारियों से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र प्राप्त कर ही बालू घाटों का संचालन हो रहा है। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि जनवरी 2016 तक बालू घाटों का संचालन, नीति/नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये बगैर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र के ही हुआ था।

(धर्मेन्द्र कुमार)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

पटना
दिनांकः 14 फरवरी 2017

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांकः 17 फरवरी 2017

[11] मधुपरा, मधुबनी एवं पटना।